निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 09/2020 दावा
दायरा दिनांकः—07.01.2020
निर्णय दिनांकः—01-04-24

उनवान

1. रामपति बाई आयु 45 वर्ष पत्नि रमेश जाति मीना निवासी ग्राम परोलिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

................वादी

बनाम

1. मदनलाल आयु 70 वर्ष पुत्र चतरा
2. रामप्रसाद आयु 40 वर्ष पुत्र चतरा
3. रामभरोसी आयु 65 वर्ष पुत्री चतरा
4. प्रेम आयु 60 वर्ष पुत्री चतरा
5. भूली बाई आयु 40 वर्ष पत्नि रामप्रसाद
6. प्रदीप आयु 12 वर्ष पुत्र रामकल्याण नाबालिग
7. नीलम आयु 15 वर्ष पुत्री रामकल्याण नाबालिगान जर्ये वली सरपरस्ती माता कम्पुरी बाई बेवा रामकल्याण जाति मीना
8. कम्पुरी बाई आयु 48 वर्ष बेवा रामकल्याण
9. कैलाश आयु 45 वर्ष पुत्र साबुलाल
10. रामप्रसाद उर्फ रामदयाल आयु 42 वर्ष पुत्र साबुलाल
11. हरिबल्लभ आयु 40 वर्ष पुत्र साबुलाल
12. भूली बाई आयु 80 वर्ष बेवा साबुलाल
13. म्नोज आयु 30 वर्ष पुत्र धनजी
14. कम्पुरी बाई आयु 45 वर्ष बेवा धनजी
15. रमेश आयु 65 वर्ष पुत्र अमरा
16. रंगलाल आयु 62 वर्ष पुत्र अमरा
17. रामस्वरूप आयु 60 वर्ष पुत्र अमरा
18. सुनील आयु 32 वर्ष पुत्र रामचरण
19. राकेश आयु 25 वर्ष पुत्र रामचरण
20. मिथलेश आयु 36 वर्ष पुत्री रामचरण
21. सुगना आयु 33 वर्ष पुत्री रामचरण
22. रीना बाई आयु 30 वर्ष पुत्री रामचरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

C:\Users\Lenovo\Desktop\firoj all letter folder\Rambabu ji fesla file.docx

23. सरदारी बाई आयु 70 वर्ष बेवा रामचरण जातियान मीणा निवासीगण ग्राम परोलिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

24. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

.............प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,90,91,91ए व 188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 01.04.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भवर सिंह जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 53, 88, 89, 90, 91,91ए व188 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वादीया तथा प्रतिवादीया क्रम 1 ता 16 के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 92 की खसरा नम्बर 192 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 194 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 200 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 231 रकबा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 246 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 248 रकबा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 249 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 252 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 254 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 255/1 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 259 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 268 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 269 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 271 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 273 04 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 283 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 291 01 बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 453/1 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 21 रकबा 37 बीघा भूमि वाके माल परोलिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि में वादिया का हिस्सा 1/15 स्थित है। जो उसने दिनांक 30.05.2011 को जर्ये पंजीकृत बैनामा से प्रतिवादी क्रम 18 ता 23 से क्रय किया था तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का हिस्सा 2/9 प्रतिवादी क्रम 5 का हिस्सा 1/18 प्रतिवादी क्रम 6 ता 8 का हिस्सा 1/18 प्रतिवादी क्रम 9 ता 12 का हिस्सा 4/15 प्रतिवादी क्रम 13 व 14 का हिस्सा 1/15 प्रतिवादी क्रम 15 ता 17 का हिस्सा 4/15 स्थित है। जो दर्ज जमाबन्दी चला आ रहा है। वादीया तथा प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर पारिवारिक बंटवारा हो रहा है। जिसके अनुसार सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। वादिया उक्त वर्णित भूमि में अपने हिस्से 1/15 पर गत कई वर्षो से काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है। परन्तु वर्तमान में वादीया के हिस्से की भूमि का अधिक उपजाउपन देखकर प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई है जिससे वह जबरन वादीया को उसके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू है। जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है।

वादिया द्वारा प्रतिवादी क्रम 18 ता 23 से सम्वत् 2067–70 में जर्ये पंजीकृत बैनामा क्रय करते समय भूमि खाता संख्या 92 की खसरा नम्बर 192 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 194 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नम्बर 200 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 231 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 246 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 248 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 249 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 252 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 254 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 255/1 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 259 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 268 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 269 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 271 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 273 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 283 रकबा 05 बीघा 074 बिस्वा, खसरा नम्बर 291 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 453/1 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 21 रकबा 50 बीघा 09 बिस्वा भूमि वाके माल परोलिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में स्थित थी। जिसमें प्रतिवादी क्रम 18 ता 23 का हिस्सा 1/14 दर्ज था। जिसमें से वादिया द्वारा 02 बीघा 11 बिस्वा भूमि यानि कुल भूमि का 51/1009 भाग क्रय किया गया था। जिसका इंतकाल भी वादिया द्वारा हल्का पटवारी से इंतकाल संख्या 559 दिनांक 20.08.2011 को खुलवाकर जमाबन्दी में दर्ज करवा लिया था।

वादिया के अन्य सहखातेदारान नारायण के वारिसान कंचन बाई, श्रीकिशन,हरलाल,श्रीलाल,घनश्याम,लड्डु,केलाबाई द्वारा छलकपट बेईमानी से विधिविरूद्ध व गलत तरीके से वास्तविकता को छिपाते हुए एक वाद माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर छबडा में दिनांक 17.02.2012 को वाद संख्या 30/2012 बउनवानी प्रकरण कंचनबाई वगैरहा बनाम मदनलाल वगैरहा अंतर्गत धारा 53,88,89,91,188 आर0टी0एक्ट पुरानी जमाबन्दी के आधार पर पेश किया। जिसमें उन्होने वादीया को पक्षकार नही बनाया तथा वादीया की जगह उन्ही खातेदारान जिनमें वादीया द्वारा उनके हिस्से की भूमि क्रय की गई थी सुनील,मुकेश,मिथलेश,सुगनी,सरदारी व अन्य सहखातेदारान 1 ता 23 को पक्षकारान बनाकर माननीय न्यायालय में पेश किया तथा सभी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही दर्ज कर दिनांक 21.07.2014 को निर्णय पारित कर केम्प निपानिया में विभाजन प्रस्ताव बनाकर दिनांक 22.07.2015 को फाइनल डिक्री जारी कर दी गई। फाइनल डिक्री के आधार पर जमाबन्दी में भी दर्ज कर दिए गए। वादिया का बिना पक्षकार बनाये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए राजस्व कर्मचारियो व हल्का पटवारी ने श्रीमान से बिना जमाबन्दी 2072 पर गौर किए इंतकाल संख्या 675 दिनांक 04.09. 2015 को तस्दीक कर दिया। जिससे वाद पत्र की मद नम्बर 3 में वार्णित भूमि का विभाजन कर भूमि खसरा नम्बर 246/1 रकबा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 192/1 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 194/1 रकबा 05 बिस्वा खसरा नम्बर 200/1 रकबा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 205/1 रकबा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 231/1 रकबा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 248/1 रकबा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 249/1 रकबा 04 बिस्वा [illegible] 02 बिस्वा खसरा नम्बर 253/1 रकबा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 2[illegible]1 [illegible] 06 बिस्वा खसरा नम्बर 529/1 रकबा 01 बीघा 02 [illegible]/1 रकबा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 269/1 रकबा 02 [illegible] रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 272/1 रकबा 01 बीघा 01 [illegible] खसरा नम्बर 273/1 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 283/1 रकबा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 291/1 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

12 बिस्वा खसरा नम्बर 253/2 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 20 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि श्रीकिशन, हरलाल, श्रीलाल, घनश्याम, लड्डु, पुत्रगण नारायण, केलाबाई पुत्री नारायण, कंचनबाई बेवा नारायण जातियान मीणा निवासीगण ग्राम परोलिया तहसील छबडा के नाम दर्ज कर दी गई तथा शेष वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि प्रतिवादी क्रम 1 ता 23 के नाम दर्ज कर दी गई। जो दर्ज जमाबन्दी चली आ रही है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 वाद पत्र के साथ संलग्न है। प्रतिवादी क्रम 18 ता 23 सुनील, मुकेश, राकेश, मिथलेश, सुगना, रीना, सरदारीबाई, के नाम गैर कानूनी अवैधानिक गलत तरीके से वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि में दर्ज कर दिए गए है। जिनके शेष बचे 1/15 हिस्से पर वादिया जर्ये बैनामा दिनांक 30.05.2011 के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषण करवाकर अपने नाम दर्ज करवाने की कानूनन अधिकारिणी है जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। उक्म वर्णित भूमि के सहखातेदार जगदीश उर्फ बीरबल गत 20 वर्ष पूर्व कुंवारा फोत हो गया है। जिसका कोई जायज वारिसान व कायम मुकामान मौजुद नही है। इस कारण सहखातेदार जगदीश उर्फ बीरबल का नाम खाते से खारिज की वैधानिक अधिकारी है। वादीया दिनांक 16.12.2019 को हल्का पटवारी के पास किसान क्रेडित कार्ड बनवाने के लिए अपने खाते की नकल लेने गई तो उसे अपने खाते में से अवैधानिक गलत तरीके के नाम हटाने की जानकारी हुई। वादिया एक अनपढ व पर्दानशीन गरीब महिला है। जिसके परिवार के जीविकोपार्जन का साधन मात्र उक्त कृषि भूमि है। वाद कारण दिनांक 10.12.2019 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी क्रम 18 ता 23 ने वादिया को वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित उसके हिस्से 1/15 पर से उसे बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी।

वादिया का वाद दर्ज रजिस्आर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजुद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उपके विरूद्ध दिनांक 05.02.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादिया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम परोलिया सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 92, नकल नामान्तरण संख्या 559 ग्राम परोलिया नकल नामान्तरण संख्या 675 ग्राम परोलिया, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2011 पेश की गई साक्ष्य वादी में रामपतिबाई रामस्वरूप घनश्याम रमेश का शपथ पत्र पेश कियरा गया।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम परोलिया तहसील छबडा में स्थित है जो वादीया एवं प्रतिवादीगण के शामिलाती खाते [illegible] है वादिया द्वारा विवादित आराजी में से प्रतिवादी क्रम 18 ता 23 के [illegible] 1/15 में से 2.11 बीघा भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 30.05.2011 को क्रय की गई थी। विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 20.08.2011 को [illegible] खोला जाकर तस्दीक किया गया परन्तु अन्य सहखातेदार द्वारा एक वाद [illegible]/2012 उनवान कंचनबाई बनाम मदनलाल माननीय न्यायालय में धारा 53,88,89,91,188 आर0टी0एक्ट पुरानी जमाबन्दी के आधार पर पेश किया गया जिसमें वादिया को पक्षकार नही बनाया

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:37 IST
Reason: SelfAttested

गया परन्तु अन्य सहखातेदार द्वारा एक वाद 30/2012 उनवान कंचनबाई बनाम मदनलाल माननीय न्यायालय में धारा 53,88,89,91,188 आर0टी0एक्ट पुरानी जमाबन्दी के आधार पर पेश किया गया जिसमें वादिया को पक्षकार नही बनाया गया। पूर्व सहखातेदार को पक्षकार बना कर दावा माननीय न्यायालय में पेश किया तथा सभी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दर्ज कर दिनांक 21.07.2014 को निर्णय पारित कर कैम्प निपानिया में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर दिनांक 21.07.2014 को अन्तिम डिक्री जारी की गई अन्तिम डिक्री के आधार पर नामान्तरण संख्या 675 दिनांक 4.09.2015 तस्दीक किया गया जिससे पूर्व खातेदारो के नाम दर्ज किये गये। प्रतिवादी क्रम 18 ता 23 द्वारा अपने हिस्से 1/15 में से 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि का बेचान कर दिया था परन्तु पुरानी जमाबन्दी के आधार पर वाद पत्र परस्तुत करने से बेचान की गई भूमि सहित सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी क्रम 18 ता 23 के खाते दर्ज कर दी गई वादिया क्रय की गई भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है वादिया को विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2011 के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस अभिभाषक वादीया सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम परोलिया सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 92 के अनुसार प्रतिवादी क्रम 18 ता 23 का हिस्सा 1/15 दर्ज होना पाया जाता है वादीया का नाम खातेदारी जमाबन्दी में अंकित नही है नकल नामान्तरण सख्या 559 ग्राम परोलिया तहसील छबडा विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2011 के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत निपानिया द्वारा दिनांक 20.08.2011 को स्वीकार कर तस्दीक किया गया नकल नमानतरण 675 दिनांक 04.09.2015 के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा के निर्णय दिनांक 27.07.2015 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 27.07.2015 के आधार पर तस्दीक किया गया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2011 के अनुसार खातेदार सुनील,राकेश,पुत्र रामचरण मिथलेश, सुगना, रीना पुत्रीया रामचरण एवं सरदारीबाई, बेवा रामचरण द्वारा खाता संख्या 92 के कुल खसरा नम्बर 21 किता रकबा 50.09 बीघा में हिस्सा 1/14 में से 2.11 बीघा यानि की कुल भूमि का 51/1009 भाग 1,50,000/– में श्रीमति रामपति बाई पत्नि रमेश जाति मीणा निवासी परोलिया तहसील छबडा को बेचान किया जाना पाया जाता है प्रस्तुत दस्तावेज से यह साबित होता है कि प्रतिवादी क्रम 18 ता 23 द्वारा अपने हिस्से की भूमि में से 2.11 बीघा भूमि का जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादिया को बेचान की गई परन्तु सहखातेदारान द्वारा पुरानी जमाबन्दी के आधार पर एक वाद पत्र बंटवारा हेतु प्रस्तुत किया जिसमें वादिया को पक्षकार नही बनाया गया तथा पूर्व खातेदारान प्रतिवादी क्रम 18 ता 23 के नाम विक्रय की गई भूमि सहित खाते दर्ज कर दी गई। जबकि वादिया द्वारा 2.11 बीघा भूमि क्रय की गई थी। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में [illegible] होकर अपने पक्ष के समर्थन में न जवाब पेश किया ओर ना ही को दस्तावेज साक्ष्य सबूत पेश किया वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार धारा 88 आर.टी.[illegible] के तहत खातेदारी अधिकरी प्राप्त किये गये है। चुकिं वादीया द्वारा अनुतोष [illegible] बंटवारा नही चाहा गया है। सहखातेदारी की भूमि में वादीया द्वारा वाद पत्र [illegible] प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के लिये चाहा गया अनुतोष सहखातेदारान होने के कारण नही दिया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सकता है। वादी का वाद धारा 88 आर.टी.एक्ट तक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम परोलिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 192 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 194 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 200 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 231 रकबा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 246 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 248 रकबा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 249 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 252 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 254 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 255/1 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 259 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 268 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 269 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 271 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 272 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 273 04 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 283 रकबा 04 बीघा, खसरा नम्बर 291 01 बीघा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 453/1 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 21 रकबा 37.17 बीघा में प्रतिवादी क्रम 18 ता 23 के हिस्सा 1/14 में से 2.11 बीघा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादिया को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.04.29 17:38:37 IST
Reason: SelfAttested